राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

क्रमांक : सी.बी.एस/वित्त/केन्टिन/23/181 दिनांक :–17.03.2023

निविदा–सूचना

निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर के नवनिर्मित भवन पर स्थित निम्नलिखित स्टालों/केन्टीनों पर लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है:–

क्र. सं.	नवनिर्मित भवन	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय
1.	भूतल	पैक्ड फूड, बैकरी, चाय, कॉफी (चाय–काफी मशीन से बनी हुई)	24x12	20,000	2,40,000
	भूतल	जनरल स्टोर, मोबाइल, खिलोने एवम् मोबाइल एसेसीरिज	14x11	20,000	480000
2.	प्रथम तल				
	दुकान नम्बर 01	सम्पूर्ण स्थान किसी एक फर्म/व्यक्ति/संस्थान को दिया जाना है।	53x12	50,000	26,00,000
	दुकान नम्बर 02		20x11.10		
	दुकान नम्बर 03		20x11.05		
	दुकान नम्बर 04		40x12		
	दुकान नम्बर 05		40x12		
	दुकान नम्बर 06		20x11.5		
	दुकान नम्बर 07		20x11.10		
	दुकान नम्बर 08		53x12		
3	द्वितीय तल				
	निर्मित/खुला स्थान	भोजनालय, केफे, फास्टफूड, सरस पार्लर	7236	50,000	36,00,000

निविदा प्रपत्र एवम् शर्तो के लिए निर्धारित राशि रू. 200/–(जी.एस.टी. अतिरिक्त) नकद जमा करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव दिनांक 05-04-2023 को समय सांय 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है निविदा दिनांक 06-04-2023 को समय दोपहर 14.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवम् उसी दिन समय दोपहर 15.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि नकद अथवा डी.डी./बैकर्स चैक, सी.एम.सी.बी.एस,जयपुर के नाम से जमा करवानी होगी। धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। प्रकाशित निविदा को बिना पूर्व सूचना के संशोधित/निरस्त किया जा सकता है। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है।

(भंवर अली)
मुख्य प्रबन्धक,सी.बी.एस आगार।

निविदादाताओं को भरकर देना अनिवार्य है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या ..... दिनांक .... राशि ..... रूपये ..... जो कि CM CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ है)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर स्थित नवीन भवन पर स्टाल आवंटन हेतु
अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा–प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्याः–
दिनांक :–

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जमा रूपयें	:–	200 रू./–(जी.एस.टी अतिरिक्त)
अक्षरे	:–	दौ सौ रूपये मात्र(जी.एस.टी अतिरिक्त)
नकद/रसीद संख्या	:–	
दिनांक	:–	

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		:–	
02	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.			
		कार्यालय	:–	
		निवास	:–	
03	टेलेक्स/फैक्स नम्बर		:–	
04	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण		:–	
05	धरोहर राशि		:–	
06	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद संख्या/ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर		:–	
	दिनांक		:–	
07	देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये			
		राशि प्रतिमाह रूपये	:–	
		शब्दों में	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।			
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर		:–	
10	निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित		:–	
11	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना फार्म स्वीकर नहीं किया जावेगा।		:–	

नोटः–निविदा फार्म में सभी सूचना एवम् चाहे गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने है इसके बिना फार्म निरस्त/अस्वीकार कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

निविदा–शर्ते

निविदा शुल्क	:–	200 सौ रूपए मात्र (दौ सौ रूपए मात्र)
निविदा दिनांक	:–	.....
निविदा प्राप्ति समय	:–	14.00 बजे।
निविदा खोलने का समय	:–	15.00 बजे।

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः–

1. निगम बस स्टैण्डों पर आवंटित दुकान नम्बर /स्टाल संख्या/बूथ संख्या/खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये लाईसेंस फीस पर आवंटित की जाती है। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर आगारीय कमेटी की अनुशंषा पर 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात पूर्व लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जावेगा।
2. जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/– रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण ;आगारीय कमेटी की अनुशंषा के अनुसारद्धअधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने हेतु लाईसेन्सी को समय पर आवेदन करना होगा। लाईसेन्स समय पर नवीनीकरण नही कराने पर/अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इसके लिये पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवश्यकता नही होगी तथा लाईसेंसी को दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान स्वतः ही खाली करना होगा। इसके लिये वह किसी भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय में वाद दायर नही कर सकेगा। आगारीय कमेटी यदि यह उचित समझती है की उक्त स्टाल की अधिक लाईसेन्स फीस प्राप्त हो सकती है तो निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए आगारीय कमेटी एक माह का नोटिस देकर पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदा दाता को स्टाल आवंटन की कार्यवाही कर सकेगी।
3. लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पाँच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
4. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जायेगा :–

   नोटः– जिस स्टॉल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत साम्रगी का ही इन्द्राज करे।

   1. .....
   2. .....
   3. .....

4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ...../– रूपये (अक्षरे ..... रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्चे पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नही किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
6. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिर्वतन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
7. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा)12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे,देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स की किसी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

8. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
9. आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
10. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
11. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
12. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
13. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नही किया जा सकेगा।
15. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नही ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
16. लाईसेन्सी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
17. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तो का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वय जिम्मेदार होगा।
18. दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
19. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
20. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
21. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
    2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति,पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)
    3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।
    यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
22. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।
23. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
24. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
25. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
26. संलग्न धोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
27. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नही किया जा सकेगा।
28. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।

29. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नही करवाने पर प्रतिदिन 50/-रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

30. सिन्धी कैम्प परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
31. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।
32. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 232 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में **Dispute Resolution and Arbitration Clause** को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

33. Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
34. Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlined vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee constituted there under, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended.

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)